(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण R 1350-II-17

1. अजय कुमार
2. सुनील कुमार
3. अनिल कुमार
4. आखिल कुमार पुत्रगण गुलाबचंद भार्गव निवासी ग्राम–ईमलानी, तहसील–सिरोंज जिला–विदिशा (म.प्र.)

विरूद्ध

1. प्रकाशचन्द 2 अशोककुमार 3. राजकुमार पुत्रगण बाबुलाल जैन निवासी आरोन तहसील–सिरोंज जिला विदिशा
4. विमलाबाई पत्नी नंदनलाल निवासी कुमराज जिला– अशोकनगर
5. आजादबाई पत्नि उत्तमचन्द जैन
6. राजकुमार पत्नि संजयकुमार जैन निवासीगण इन्दौर
7. कुसुमबाई पत्नी राकेश जैन निवासी उज्जैन
8. मगनबाई पत्नी स्व. बाबूलाल जैन निवासी आरोन तहसल –सिरोज जिला विदिशा

श्री ... द्वारा आज दि. 11/5/2017 को प्रस्तुत

अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज, जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 128/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी का विवादित आदेश एवं की जा रहीं कार्यवाहीं अवैध, अभिलेख के विपरीत तथा मनमाने होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि के स्वामी बाबुलाल पुत्र रज्जूलाल थे तथा आवेदकगण के पिता गुलाबचंद उक्त भूमि सर्वे क्रमांक–194 के मोरूसी कृषक थे आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व खसरे में मोरूसी कृषक के रूप में अंकित था।

3. यह कि, आवेदकगण के पिता ने संहिता की धारा–185, 190 एवं 110 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में आवेदन दिया जिस पर कार्यवाहीं करते हुये तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक–10/अ–46/1994–95 में दिनांक 23/01/1996 को नामांतरण का आवेदन स्वीकार किया उस समय से आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो में भूमि स्वामी के रूप में निरन्तर लिखा चला आ रहा है।

4. यह कि, पूर्व स्वामी बाबूलाल की मृत्यु कब हुई ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1350-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	